भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन
2017

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन
2017

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली – 110 001

© भारत निर्वाचन आयोग 2017

मीडिया प्रभाग, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली -110 001 द्वारा प्रकाशित
एवं आई.जी. प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुद्रित। # + 91-26817927, नई दिल्ली – 110 003

दूरभाष : +91-11-23717391
फ़ैक्स : +91-11-23713412
वेबसाइट : www.eci.nic.in

राष्ट्रपतीय निर्वाचन – 2017 के संबंध में पृष्ठभूमि सामग्री उपराष्ट्रपति, 2017

भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति की पदावधि **10** अगस्त, 2017 तक है। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा **4** की उप-धारा **(1)** एवं उप-धारा **(3)** के उपबंधों के अंतर्गत, उक्त निर्वाचन की अपेक्षा संबंधी अधिसूचना, निर्गामी उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से साठवें दिवस पूर्व या उसके पश्चात् जारी की जा सकती है, अर्थात, वर्तमान प्रकरण में निर्वाचन आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के कार्यक्रम की अधिसूचना **12** जून, 2017 के पश्चात् किसी भी दिवस पर जारी की जा सकती है।

संवैधानिक उपबंध :- कार्यकाल

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 के उपबंधों के तहत उपराष्ट्रपति उस तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जिस तिथि पर वह अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं तथा अनुच्छेद 67 के उपबंध की उपधारा **(सी)** के तहत, उपराष्ट्रपति अपने पद के समापन के बावजूद अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी उनके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता है।

निर्वाचक मंडल

3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 (1) के उपबंधों के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों (2 लोक सभा और राज्य सभा के 12) के नामांकित सदस्य भी उक्त दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों के साथ निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

4. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 40 के तहत, निर्वाचन आयोग द्वारा उपरोक्त निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सूची का उनके संशोधित अद्यतित पते सहित रख-रखाव करना अपेक्षित है।

5. सूची में (i) राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों, (ii) राज्य सभा के नामित सदस्यों, (iii) लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों, और (iv) लोक सभा के नामित सदस्यों के नाम, उसी क्रम में समाविष्ट होंगे। नामों को एक अविरत अनुक्रम में संख्यांकित किया जाएगा और संबंधित सदनों के राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के अकारादिक्रमों में व्यवस्थित किए जाएंगे। एक सदस्य, जिसका निर्वाचन उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्वाचन याचिका में अपास्त कर दिया गया है, परंतु न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अपास्त करने के निर्णय के संचालन पर सीमित स्थगन प्रदान करते हुए उच्च न्यायालय के स्वयं के अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश के आधार पर सदस्यता जारी है (अर्थात सदस्य को उसकी उपस्थिति को चिह्नित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने / मत देने की अनुमति नहीं दे रहा है), निर्वाचन में मत देने हेतु पात्र नहीं हैं, तथापि उसका नाम निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की सूची जुलाई, 2017 में बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

निर्वाचक मंडल में कुल सदस्य

6. निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

a) **राज्य सभा** :

निर्वाचित = 233

मनोनीत = 12

b) **लोक सभा** :

निर्वाचित = 543

मनोनीत = 2

कुल = 790

निर्वाचन कार्यक्रम

7. संविधान के अनुच्छेद 68 के उपबंधों के तहत उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान के कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन को, पदावधि के अवसान के पहले पूरा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के कार्यालय में मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या अन्यथा किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन को, रिक्त घटित होने पश्चात् जितना शीघ्र हो सके आयोजित किया जाएगा एवं रिक्ति को भरने के लिए चुना गया व्यक्ति उस तिथि से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करने का पात्र होगा, जिस तिथि पर वह अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा।

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन का आयोजन

रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी :

8. प्रत्येक निर्वाचन के प्रयोजनार्थ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से, एक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा, और साथ ही एक या इससे अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी नियुक्त किया जा सकता है। आयोग द्वारा विकसित परिपाटी के अनुसार और आमतौर पर जिसका पालन किया जाता है, राज्य सभा के महासचिव और लोक सभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में चक्रानुक्रम आधार पर नियुक्त किया जाता है। तदनुसार, इस समय, राज्य सभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उनके अधीनस्थ दो अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं।

निर्वाचन कार्यक्रम

9. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करने की तिथि से आरंभ होने वाले निम्नलिखित विभिन्न चरणों को निर्दिष्ट करते हुए आधिकारिक राजपत्र में निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचित करेगा:

   अ) 14वाँ दिन - नाम-निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि के रूप में;

   ब) 15वाँ दिन – नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तिथि के रूप में;

   स) 17वाँ दिन - अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के रूप में;

   द) अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि से न्यूनतम **15** दिनों पश्चात्, यदि आवश्यक हो, मतदान की तिथि के रूप में एक दिन।

10. उपरोक्त कार्यक्रम का निर्णय करते समय आयोग, भारत सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881** की धारा **25** के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि घोषित की गई अधिसूचनाओं को जारी करने की तिथि; नाम-निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि; संवीक्षा की तिथि और अभ्यर्थिता की वापसी के लिए अंतिम तिथि इस प्रकार घोषित सार्वजनिक अवकाश नहीं हैं। पूर्व के चौदह उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए निर्वाचन कार्यक्रमों को परिशिष्ट-7 पर देखा जा सकता है।

मतदान का स्थान

11. नई दिल्ली में संसद भवन में एक कक्ष मतदान स्थल के रूप में नियत किया गया है। मतदान के स्थान का पूरा विवरण यथासमय अधिसूचित किया जाएगा।

निर्वाचन के लिए पात्रता

12. कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्र तभी होगा, जब वह :

अ) भारत का नागरिक है;

ब) 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है; एवं

स) राज्य परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य है (अनुच्छेद 66)।

13. कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन काई लाभ का पद धारण करता है, वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

14. तथापि, कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

15. निर्वाचन के संबंध में विस्तृत उपबंध, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 की संख्या **31**) एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों यथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1974 में निहित हैं।

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में अभ्यर्थिता से संबंधित महत्वपूर्ण उपबंध -

16. नाम-निर्देशन दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर या उससे पहले, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा, 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक रिटर्निंग अधिकारी को उनके द्वारा इस हेतु निर्दिष्ट स्थान पर, एक नाम-निर्देशन-पत्र निर्धारित प्रपत्र (राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के साथ संलग्न प्रपत्र 3) में पूर्ण किया हुआ एवं नाम-निर्देशन हेतु सहमति के रूप में अभ्यर्थी द्वारा समर्थित, प्रस्तुत किया जाएगा।

17. एक प्रत्याशित उपराष्ट्रपतीय अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन-पत्र, कम से कम **20** निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावकों के रूप में तथा कम से कम **20** निर्वाचकों द्वारा अनुमोदक के रूप में समर्थित होना चाहिए।

18. कोई भी निर्वाचक एक ही निर्वाचन में एक से अधिक नाम-निर्देशन-पत्र पर प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में अपना समर्थन नहीं देगा और यदि वह ऐसा करता है, तो रिटर्निंग अधिकारी को सर्वप्रथम प्रदत्त दस्तावेज़ को छोड़कर, अन्य किसी भी दस्तावेज़ पर किए गए उसके हस्ताक्षर निष्प्रभावी होंगे।

19. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अथवा उसकी ओर से न तो चार से अधिक नाम-निर्देशन-पत्र भरे जाएंगे और न ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

20. प्रत्येक नाम-निर्देशन-पत्र के साथ, अभ्यर्थी के संबंध में उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि लगी होगी, जहां वह एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है।

21. प्रत्याशित अभ्यर्थी को प्रतिभूति के रूप में ₹ 15,000/- पंद्रह हज़ार रुपये की धनराशि या तो रिटर्निंग अधिकारी को नकद रूप में जमा कराई जानी चाहिए या ऐसी रसीद संलग्न करनी चाहिए जो दर्शित करती हो कि अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा करा दी गई है। ऐसे निर्वाचनों में जहां मतदान हो चुके हैं एवं यदि अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी के लिए डाले गए वैध मतों की संख्या, ऐसे निर्वाचन में अभ्यर्थी की विजय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मतों के छठवें हिस्से से अधिक न हो, तो यह धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

निर्वाचन की प्रणाली

22. उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतपत्र के द्वारा मतदान किया जाएगा।

प्रत्येक मत का मान

23. उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु, प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मान **एक** है।

एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली – विस्तृत प्रक्रिया

24. राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम **17** में उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के मतदान करने की रीति अन्तर्विष्ट है।

25. मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम अन्तर्विष्ट होंगे, लेकिन इसमें कोई भी निर्वाचन प्रतीक नहीं होता है। मतपत्र में दो कॉलम होंगे। मतपत्र के कॉलम **1** में शीर्षक "अभ्यर्थी का नाम" होता है, एवं कॉलम **2** में शीर्षक "अधिमान का क्रम चिह्नित करें" होता है। कॉलम **1** में, अभ्यर्थियों के नामों के साथ उनके छायाचित्र भी मुद्रित किए जाएंगे।

26. प्रत्येक निर्वाचक हेतु उतने ही अधिमान होंगे जितने कि अभ्यर्थी, किंतु किसी भी मतपत्र को केवल इसी आधार पर अविधिमान्य नहीं माना जाएगा कि ऐसे सभी अधिमान चिह्नित नहीं किए गए हैं, बशर्ते कि पहली प्राथमिकता मान्य रूप से चिह्नित की गई हो।

27. एक निर्वाचक अपना मत देने में, उस अभ्यर्थी के, जिसे वह अपने प्रथम अधिमान के लिए चुनता है, नाम के समक्ष वाले स्थान में अंक "1" लगाएगा एवं इसके अतिरिक्त, अपने मतपत्र पर दूसरे अभ्यर्थियों के नामों के समक्ष स्थानों पर अधिमान-क्रम में उतने परवर्ती अधिमान, जैसा वह चाहता है; 2, 3, 4 एवं इसी तरह वरीयता के क्रम में लगाकर चिह्नित कर सकेगा। अंकों को भारतीय अंको के अंतर्राष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किए जा सकेंगे, **किंतु शब्दों में नहीं दर्शाए जाएंगे**।

गणना पद्धति

28. रिटर्निंग अधिकारी गणना हेतु निर्धारित समय पर मतों की गणना आरंभ करता है, जो आमतौर पर उसी दिन की जाती है, जिस दिन मतदान किया जाता है।

29. रिटर्निंग अधिकारी पहले मतों की संवीक्षा करता है एवं अविधिमान्य मतों को पृथक करता है। विधिमान्य मतपत्रों को, उसमें चिह्नित प्रथम वरीयता के अनुसार अभ्यर्थी हेतु नियत ट्रे में रखकर निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवारों के मध्य वितरित किया जाता है। विधिमान्य मतपत्रों का इस तरह से वितरण करने के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त विधिमान्य मतपत्रों का योग करते हैं।

निर्वाचन के लिए कोटा

30. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की गणना करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ रहे समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों का योग करते हैं। एक अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने के लिए विधिमान्य मतों में **2** से भाग देकर और भागफल में **1** जोड़कर, यदि शेष हो तो उसे गिनती में न लेकर, कोटा अवधारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य का योग **789** माना जाए, तो निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित कोटा है:-

$$\frac{789}{2} + 1 = 394.50 + 1 \text{ [.50 को गिनती में न लें]}$$

कोटा 394+1= **395**

31. कोटा अभिनिश्चित करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी को यह देखना है कि क्या किसी अभ्यर्थी ने उसे प्राप्त प्रथम वरीयता मतों के कुल मान के आधार पर निर्वाचित घोषित होने के लिए कोटा हासिल कर लिया है।

32. यदि प्रथम वरीयता मतों के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी कोटा प्राप्त नहीं करता है तो निर्वाचक अधिकारी मतगणना के दूसरे दौर की ओर बढ़ते हैं, जिसके दौरान प्रथम वरीयता के मतों की न्यूनतम संख्या वाले अभ्यर्थी को सम्मिलित नहीं किया जाता है और उसके मतों को इन मतपत्रों पर चिह्नित द्वितीय वरीयता के अनुसार शेष अभ्यर्थियों के मध्य वितरित किए जाते हैं। बने रहने वाले अन्य अभ्यर्थी, बाहर कर दिए गए अभ्यर्थी के मत एक के समान मान पर प्राप्त होते हैं।

33. रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के परवर्ती दौरों में मतों की न्यूनतम संख्या वाले अभ्यर्थियों को तब तक बाहर करना जारी रखेंगे जब तक कि बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से कोई एक अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता या तब तक, जब तक कि मैदान में एकमात्र अभ्यर्थी अकेले अभ्यर्थी के रूप में बना रहता है और उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

पिछले निर्वाचन

34. वर्ष **2017** में होने वाला उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, इस पद हेतु ऐसे निर्वाचनों का पंद्रहवाँ निर्वाचन होगा। इस पद हेतु ऐसे ही पिछले निर्वाचन वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967, 1969, 1974, 1979, 1984,

1987, 1992, 1997, 2002, 2007 एवं 2012 में हुए थे। ऐसे पिछले प्रत्येक निर्वाचन के ब्योरों का सारांश परिशिष्ट-I और II में दिया गया है।

निर्वाचन पर विवाद

35. (i) उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी संदेह या विवाद को निर्वाचन के समाप्त होने के पश्चात् ही निर्वाचन याचिका के माध्यम से उठाया जा सकता है।

(ii) ऐसी निर्वाचन याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है।

(iii) उपराष्ट्रपतीय के पद के निर्वाचन पर प्रश्न उठाती हुई एक निर्वाचन याचिका, ऐसे निर्वाचन के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा या किन्हीं भी दस या इससे अधिक निर्वाचकों द्वारा एक साथ जुड़कर याचिकाकर्ताओं के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

(iv) निर्वाचन याचिका को निर्वाचित अभ्यर्थी के नाम की घोषणा के प्रकाशन की तिथि से **30** दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु
वर्ष 1952 से 2012 तक के निर्वाचन कार्यक्रम

	निर्वाचन का वर्ष	अधिसूचना की दिनांक	नाम-निदेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि	संवीक्षा की तिथि	अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि	मतदान की तिथि एवं समय	मतगणना की तिथि
	1	2	3	4	5	6	7
1)	1952	12/04/1952	21/04/1952	22/04/1952	25/04/1952	12/05/1952 11 पूर्वा. - 5 अप.	निर्विरोध
2)	1957	09/04/1957	18/04/1957	20/04/1957	23/04/1957	11/05/1957 10 पूर्वा. - 4 अप.	निर्विरोध
3)	1962	06/04/1962	16/04/1962	18/04/1962	21/04/1962	07/05/1962 10 पूर्वा. - 4 अप.	07/05/1962 [5.00 अप.]
4)	1967	03/04/1967	13/04/1967	15/04/1967	18/04/1967	06/05/1967 10 पूर्वा. - 4 अप.	06/05/1967 [5.00 अप.]
5)	1969	31/07/1969	09/08/1969	11/08/1969	14/08/1969	30/08/1969 10 पूर्वा. - 5 अप.	30/08/1969 [6.00 अप.]
6)	1974	26/07/1974	09/08/1974	10/08/1974	12/08/1974	27/08/1974 10 पूर्वा. - 5 अप.	27/08/1974 [6.00 अप.]
7)	1979	23/07/1979	06/08/1979	07/08/1979	09/08/1979	27/08/1979 10 पूर्वा. - 5 अप.	निर्विरोध
8)	1984	20/07/1984	03/08/1984	04/08/1984	06/08/1984	22/08/1984 10 पूर्वा. - 5 अप.	22/08/1984
9)	1987	04/08/1987	18/08/1987	19/08/1987	21/08/1987	07/09/1987 10 पूर्वा. - 5 अप.	07/09/1987 [6.00 अप.]
10)	1992	17/07/1992	31/07/1992	01/08/1992	03/08/1992	19/08/1992 10 पूर्वा. - 5 अप.	19/08/1992 [6.00 अप.]
11)	1997	15/07/1997	29/07/1997	30/07/1997	01/08/1997	16/08/1997 10 पूर्वा. - 5 अप.	16/08/1997 [6.00 अप.]
12)	2002	10/07/2002	24/07/2002	25/07/2002	27/07/2002	12/08/2002 10 पूर्वा. - 5 अप.	12/08/2002 [6.00 अप.]
13)	2007	09/07/2007	23/07/2007	24/07/2007	26/07/2007	10/08/2007 10 पूर्वा. - 5 अप.	10/08/2007 [6.00 अप.]
14)	2012	06/07/2012	20/07/2012	21/07/2012	23/07/2012	07/08/2012 10 पूर्वा. - 5 अप.	07/08/2012 [6.00 अप.]

परिशिष्ट-।।
उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन
वर्ष 1952 से 2012

संक्षिप्त नोट

पहला उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1952

प्रथम उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा निर्वाचकों की सूची तैयार कर 18.4.1952 को प्रकाशित की गई। इसमें 715 निर्वाचकों के नाम सम्मिलित थे।

मूल रूप से अधिनियमित किए गए संविधान के अनुच्छेद 66 के खंड (1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार एक संयुक्त बैठक में निर्वाचित किया जाना था।

रिटर्निंग अधिकारी

श्री एम.एन. कौल, संसदीय सचिव। कुछ सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया था।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

अभ्यर्थी

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में नांदियाल से दो उम्मीदवार डॉ० एस. राधाकृष्णन और जनाब शेख़ खादिर हुसैन ने नाम-निर्देशन किया और रिटर्निंग अधिकारी ने डॉ० एस. राधाकृष्णन के नामांकन को मान्य किया और श्री हुसैन के नामांकन को खारिज कर दिया। केवल एकमात्र अभ्यर्थी होने के नाते, डॉ० एस. राधाकृष्णन को 25.04.1952 को उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। उन्होंने 13.05.1952 को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश किया।

दूसरा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1957

उपराष्ट्रपति के रूप में डॉ० राधाकृष्णन का पद 12.05.1957 को समाप्त हुआ। उस तिथि से पहले उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन हुआ था।

रिटर्निंग अधिकारी

श्री एम.एन. कौल, सचिव, लोक सभा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

श्री एन.सी. नंदी, उप सचिव, लोक सभा।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में लोक सभा और राज्य सभा के **735** सदस्य सम्मिलित थे।

अभ्यर्थी

डॉ० राधाकृष्णन एकमात्र वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थी थे और उन्हें 23.04.1957 को दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध घोषित कर दिया गया।

डॉ० राधाकृष्णन ने 13.05.1957 को दूसरे कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया।

तीसरा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1962

उपराष्ट्रपति के रूप में डॉ० राधाकृष्णन का दूसरा कार्यकाल 12.05.1962 को समाप्त होना था।

रिटर्निंग अधिकारी

सचिव, राज्य सभा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

उप-सचिव, राज्य सभा।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में में लोक सभा और राज्य सभा के 745 सदस्य थे।

निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन

मूल रूप से अधिनियमित किए गए संविधान के अनुच्छेद 66 के खंड (1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार एक संयुक्त बैठक में निर्वाचित किया जाना था। तथापि, इस तरह की कोई संयुक्त बैठक 1952 या 1957 के उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों अवसरों पर निर्वाचन निर्विरोध थे। इस निर्वाचन के लिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में निर्धारित प्रक्रिया, राष्ट्रपतीय निर्वाचन के समान ही थी और इसमें किसी भी स्तर पर सदस्यों की एक संयुक्त बैठक की कोई कल्पना या प्रावधान नहीं था। यह सावधानीपूर्वक विचार किया गया था कि इस प्रकृति के एक महत्वपूर्ण निर्वाचन के विभिन्न चरण, एक स्थान पर एकत्रित 700 और विषम व्यक्तियों की संयुक्त बैठक में संतोषजनक रूप से या सुविधापूर्वक नहीं की जा सकती है। संविधान (11वाँ संशोधन) अधिनियम, 1961 के द्वारा तदनुसार, अनुच्छेद में "दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर बनाए गए निर्वाचक मंडल द्वारा" निर्वाचन किए जाने का संशोधन किया गया था। तदनुसार, निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची तैयार की और 7 मई 1962 को निर्वाचन हुआ।

डाले गए मत

निर्वाचक मंडल के 745 में से 596 सदस्यों ने मतदान किया और मतदान का प्रतिशत 80% था। 07.05.1962 को मतदान के लगभग एक घंटे के बाद गणना आरंभ हुई और परिणाम उसी दिन सायंकाल पर घोषित किया गया। 596 में से, 14 मत अविधिमान्य (2.35%) पाए गए थे। मतदान के विधिमान्य मत थे :

अभ्यर्थी	डाले गए मत
डॉ० जाकिर हुसैन	568
श्री एन.सी. सामंतसिंहर	14

निर्वाचन के लिए आवश्यक कोटा 582 / 2 = 291 + 1 = 292 था। डॉ० जाकिर हुसैन ने पहली गणना में ही कोटा प्राप्त किया और उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया। उन्होंने 13.05.1962 को उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया।

चौथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1967

भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में डॉ० जाकिर हुसैन का कार्यकाल 12.05.1967 को समाप्त हुआ।

रिटर्निंग अधिकारी

सचिव, लोक सभा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

उप सचिव, लोक सभा सचिवालय।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में संसद के 749 सदस्य थे।

मतदान

संसद भवन में एक समिति कक्ष मतदान स्थल था। यह निर्वाचन वर्ष 1962 के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के साथ हुआ था। राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए 61 संसद सदस्यों ने अपने स्वयं के राज्य मुख्यालयों में मत देने की अनुमति प्राप्त की। तथापि, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों को नई दिल्ली में संसद भवन में निर्धारित स्थल पर मत देना पड़ता है। इसलिए, चूंकि उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, राष्ट्रपतीय निर्वाचन के साथ ही आयोजित किया गया था, वे 61 सदस्य उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में नई दिल्ली में मतदान नहीं कर सके थे। तथापि, 749 में से 679 सदस्यों ने मतदान किया और मतदान का प्रतिशत 90.65% था।

अभ्यर्थी एवं मतों की गणना

679 मतों में से 3 (0.44%) अविधिमान्य पाए गए। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी और उनके द्वारा प्राप्त मत निम्नानुसार थे:

अभ्यर्थी	डाले गए मत
1. श्री वी.वी गिरी	483
2. प्रो० हबीब	**193**
	676

निर्वाचन के लिए निर्धारित कोटा 676 / 2 = 338 + 1 = 339 था। श्री वी.वी. गिरि, जिन्हें पहली गणना में ही कोटा प्राप्त हुआ, को निर्वाचित घोषित किया गया और उन्होंने 13.05.1967 को पद ग्रहण किया।

पांचवाँ उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1969

वर्ष 1967 में उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित श्री वी.वी. गिरी की पदावधि 12.05.1972 तक थी। तथापि, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉ० जाकिर हुसैन का निधन 03.05.1996 को हुआ और उपराष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। इसके पश्चात् श्री वी.वी. गिरी ने 20 जुलाई 1969 को राष्ट्रपतीय निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति और साथ ही उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार राष्ट्रपतीय निर्वाचन लड़ने के लिए, राष्ट्रपति के पद के साथ-साथ उपराष्ट्रपति के कार्यालय में भी पदरिक्ति हुई। आयोग द्वारा तत्काल ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया गया।

रिटर्निंग अधिकारी

सचिव, राज्य सभा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

उप-सचिव, राज्य सभा।

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में संसद के 759 सदस्य थे।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

अभ्यर्थी

निर्वाचन लड़ने वाले 6 अभ्यर्थी थे और मतदान के समापन के तत्काल बाद ही मतों की गणना का कार्य आरंभ किया गया था। प्रथम अधिमान के मतों की गणना के पहले दौर के बाद परिणाम घोषित किया गया। श्री जी. एस. पाठक जिन्होंने 400 प्रथम अधिमान मत प्राप्त किए थे, को 30.08.1969 को निर्वाचित घोषित किया गया था। उन्होंने 31.08.1969 को पद ग्रहण किया।

छठवां उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1974

भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में श्री जी.एस. पाठक की पदावधि 30.08.1974 को समाप्त हो गई। इस तिथि से पहले ही निर्वाचन आयोजित किया गया था।

विधि में परिवर्तन

सरकार ने 23.03.1974 को संसद द्वारा एक अधिनियम पारित करवाया एवं राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में संशोधन किया। संशोधन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. उपराष्ट्रपतीय अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन पत्र कम से कम 5 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावकों के रूप में और 5 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदक के रूप में समर्थित किया जाएगा।

2. प्रतिभूति निक्षेप ₹ 2,500/- कर दिया गया था।

3. किसी निर्वाचन को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका किसी भी अभ्यर्थी द्वारा या कम से कम **10** निर्वाचकों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर केवल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

4. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए समय-सारणी को संवैधानिक बनाया गया था। यह उपबंधित किया गया था कि नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात 14वें दिन होगी; संवीक्षा, नाम-निर्देशन दाखिल करने की ऐसी अंतिम तिथि के अगले दिन की जाएगी; अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि, संवीक्षा की तिथि के बाद का दूसरा दिवस होगा और मतदान की तिथि, यदि आवश्यक हुआ तो, अभ्यर्थिता को वापस लेने की अंतिम तिथि के पंद्रहवें दिवस से पहले नहीं होगी। व्यापक संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार ने निर्वाचन आयोग के परामर्श से, 1952 के नियमों को बदलते हुए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 का एक नया सेट जारी किया।

रिटर्निंग अधिकारी

महासचिव, लोक सभा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-**I** देखिए।

मतदान स्थल

संसद भवन का समिति कक्ष संख्या 62

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में संसद के **767** सदस्य थे।

डाले गए मत एवं अभ्यर्थी

767 सदस्यों में से, 672 (87.61%) ने मतदान किया। 10 मत (1.49%) अविधिमान्य पाए गए। 662 विधि मान्य मतों का वितरण निम्नानुसार था:

अभ्यर्थी	**डाले गए मत**
1. श्री बी.डी. जट्टी	521
2. श्री एन.ई होरो	141

निर्वाचन के लिए कोटा 662 / 2 = 331 + 1 = 332 था। श्री बी.डी. जट्टी को, जो प्रथम वरीयता मतों के आधार पर कोटा प्राप्त कर चुके थे, उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया था।

निर्वाचन की घोषणा 27.8.1974 पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और इसे गृह सचिव को भेजा गया था। श्री जट्टी ने 31.08.1974 को पद ग्रहण किया।

सातवाँ उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1979

श्री बी.डी. जट्टी की उपराष्ट्रपति के रूप में पदावधि 30.8.1979 को समाप्त हुई।

रिटर्निंग अधिकारी

श्री एस.एस. भालेराव, महासचिव, राज्य सभा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

श्री सुदर्शन अग्रवाल, अपर सचिव, राज्य सभा।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

परिणाम

श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया और उन्होंने 31.8.1979 को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया।

आठवाँ उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1984

श्री एम. हिदायतुल्ला की पदावधि दिनांक 30.8.1984 को समाप्त हुई और उस तिथि से पहले भारत के उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन आयोजित किया जाना था।

रिटर्निंग अधिकारी

महासचिव, लोक सभा।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में संसद के **788** सदस्य थे।

मतगणना एवं परिणाम

कुल 788 निर्वाचकों में से 745 (94.54%) ने मतदान किया। 30 (4.03%) मत अविधिमान्य घोषित किए गए थे। वैध मत 715 थे और निर्वाचन के लिए कोटा 715 / 2 = 357.50 + 1 = 358 था। दो उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए विधिमान्य मत इस प्रकार थे:

अभ्यर्थी	**डाले गए मत**
1. श्री रामास्वामी वेंकटरमन	508
2. श्री बापू चंद्रसेन कांबले	207

श्री रामास्वामी वेंकटरमन ने प्रथम अधिमान के मतों के आधार पर कोटा प्राप्त किया और उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया।

श्री आर. वेंकटरमन ने उपराष्ट्रपति का पद 31.08.1984 को ग्रहण किया।

नौवाँ उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1987

श्री आर. वेंकटरमन की उपराष्ट्रपति की पदावधि 30.08.1989 तक थी। तथापि, उन्हें 16.07.1987 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था और उन्होंने 25.07.1987 को उपराष्ट्रपति के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4(4) के अनुसार, उपराष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफे या निष्कासन या अन्यथा के कारण रिक्त हुए पद को भरने के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन हेतु अधिसूचना को रिक्ति उत्पन्न होने के तुरंत बाद ही जारी किया जाएगा। तद्नुसार आयोग ने उपराष्ट्रपति के रिक्त हुए पद को भरने के लिए कदम उठाए।

रिटर्निंग अधिकारी

श्री सुदर्शन अग्रवाल, महासचिव, लोक सभा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

श्रीमती के.के. चौपड़ा, अपर सचिव, राज्य सभा सचिवालय।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में कुल **790** सदस्य थे **(**लोक सभा-**545** और राज्य सभा-**245)**

मतदान स्थल

कक्ष संख्या 63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली।

अभ्यर्थी

कुल 27 अभ्यर्थियों ने अपना नाम-निर्देशन दाखिल किया। संवीक्षा करने पर रिटर्निंग अधिकारी ने पाया कि केवल एक अभ्यर्थी, नामतः महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल डॉ० शंकर दयाल शर्मा द्वारा दाखिल नाम-निर्देशन ही विधिमान्य था।

परिणाम की घोषणा

दिनांक 21.08.1987 को, अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, डॉ० शंकर दयाल शर्मा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। उन्होंने 03.09.1987 को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया।

दसवाँ उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1992

भारत के उपराष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा की पदावधि 02.09.1992 को समाप्त हो गई थी। तथापि, उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 24.07.1992 को उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। रिक्ति को भरने के लिए एक निर्वाचन आयोजित किया गया था।

रिटर्निंग अधिकारी

श्री सी.के. जैन, महासचिव, लोक सभा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

श्री टी.एस. अहलूवालिया, संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में कुल **790** सदस्य थे **(**लोक सभा-**545** और राज्य सभा-**245)**

मतदान स्थल

कक्ष संख्या 63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली।

अभ्यर्थी

इसमें निर्वाचन लड़ने वाले दो अभ्यर्थी थे:

1. श्री के. आर. नारायणन
2. श्री काका जोगिन्दर सिंह उर्फ धरतीपकड़

निर्वाचन का परिणाम

कुल 790 निर्वाचकों में से 711 (90.00%) निर्वाचकों ने निर्वाचन में मतदान किया। 10 (1.41%) मत अविधिमान्य पाए गए। 701 विधिमान्य मतों में से श्री के.आर. नारायणन ने 700 मत प्राप्त किए और श्री काका जोगिन्दर सिंह उर्फ धरतीपकड़ ने केवल एक मत हासिल किया।

निर्वाचन के लिए आवश्यक कोटा 701/2 = 350.50 + 1 = 351 था।

श्री के.आर. नारायणन को प्रथम अधिमान मतों के आधार पर गिनती के पहले दौर में आवश्यक कोटा प्राप्त करने पर 19.08.1992 को निर्वाचित घोषित किया गया था। उन्होंने 21.08.1992 को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया।

ग्यारहवाँ उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1997

भारत के उपराष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन की पदावधि 20.08.1997 को समाप्त हो गई थी।

रिटर्निंग अधिकारी

श्री आर.सी. त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

श्री डी.आर. तिवारी, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में कुल **790** सदस्य थे **(**लोक सभा-**545** और राज्य सभा-**245)**

मतदान स्थल

कक्ष संख्या 63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली।

अभ्यर्थी

इसमें निर्वाचन लड़ने वाले दो अभ्यर्थी थे:

1. श्री कृष्ण कांत
2. श्री सुरजीत सिंह

निर्वाचन का परिणाम

कुल 790 निर्वाचकों में से 760 (96.20%) निर्वाचकों ने निर्वाचन में मतदान किया। 46 (5.82%) मत अविधिमान्य पाए गए। 714 विधिमान्य मतों में से श्री कृष्ण कांत ने 441 मत प्राप्त किए और श्री सुरजीत सिंह को 273 मत प्राप्त हुए।

निर्वाचन के लिए अपेक्षित कोटा 714 / 2 = 357 + 1 = 358 था।

श्री कृष्ण कांत ने प्रथम अधिमान मतों के रूप में गणना के पहले दौर में आवश्यक कोटा प्राप्त कर लिया था और उन्हें 16.08.1997 को निर्वाचित घोषित किया गया था। उन्होंने 21.08.1997 को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया और उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 20.08.2002 तक का था।

बारहवाँ उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2002

भारत के उपराष्ट्रपति श्री कृष्ण कांत की पदावधि 20.08.2002 को समाप्त हो गई थी। तथापि, उनका निधन 27.07.2002 को हो गया और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन आयोजित किए गए थे। श्री भैरोंसिंह शेखावत को 12.08.2002 को उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया।

रिटर्निंग अधिकारी

श्री जी.सी. मल्होत्रा, महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

श्री एस.सी. रस्तोगी, संयुक्त सचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में कुल 790 सदस्य थे (लोक सभा-545 और राज्य सभा-245)

मतदान स्थल

समिति कक्ष संख्या 63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली।

अभ्यर्थी

इसमें निर्वाचन लड़ने वाले दो अभ्यर्थी थे:

1. श्री भैरों सिंह शेखावत
2. श्री सुशील कुमार शिंदे

निर्वाचन का परिणाम

कुल 790 निर्वाचकों में से 766 (96.962%) ने निर्वाचन में मतदान किया। 7 (0.886%) मत अविधिमान्य पाए गए। विधिमान्य पाए गए 759 वैध मतों में से श्री भैरों सिंह शेखावत को 454 और श्री सुशील कुमार शिंदे को 305 मत प्राप्त हुए।

निर्वाचन के लिए अपेक्षित कोटा 759 / 2 = 37 9 + 1 = 380 था।

श्री भैरों सिंह शेखावत जिन्होंने प्रथम अधिमान मतों की गणना के पहले दौर में आवश्यक कोटा हासिल किया था, को 12.08.2002 को निर्वाचित घोषित किया गया। उन्होंने 19.08.2002 को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया और उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 18.08.2007 तक का था।

तेरहवाँ उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2007

भारत के बारहवें उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत की पदावधि 18.08.2007 तक थी।

रिटर्निंग अधिकारी

डॉ० योगेन्द्र नरैन, महासचिव, राज्य सभा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

1. श्री एन.सी. जोशी, अपर सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
2. श्री रवि कांत चौपड़ा, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में कुल **790** सदस्य थे **(**लोक सभा-**545** और राज्य सभा-**245)**

अभ्यर्थी

इसमें निर्वाचन लड़ने वाले तीन अभ्यर्थी थे**:**

1. मो० हामिद अंसारी
2. डॉ० **(**श्रीमती**)** नजमा ए. हेमतुल्ला
3. श्री रसीद मसूद

मतदान स्थल

कक्ष संख्या 63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली।

निर्वाचन का परिणाम

कुल 790 निर्वाचकों में से 762 (96.45%) निर्वाचकों ने निर्वाचन में मतदान किया। 10 मत अविधिमान्य पाए गए। विधिमान्य 752 मतों में, मो० हामिद अंसारी को 455 मत मिले, डॉ० **(**श्रीमती**)** नजमा ए. हेपतुल्ला को 222 मत और श्री रशीद मसूद को 75 मत प्राप्त हुए।

निर्वाचन के लिए आवश्यक कोटा 752 / 2 + 1 = 376 + 1 = 377 था।

मो० हामिद अंसारी को, जिन्होंने प्रथम अधिमान मत के रूप में गणना के पहले दौर में आवश्यक कोटा प्राप्त किया, 10.08.2007 को निर्वाचित घोषित किया गया। उन्होंने 11.08.2007 को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया और उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 10.08.2012 तक का था।

चौहदवाँ उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012

भारत के तेरहवें उपराष्ट्रपति श्री एम० हामिद अंसारी का कार्यकाल 10.08.2012 तक का था।

रिटर्निंग अधिकारी

श्री टी.के. विश्वनाथन, महासचिव, लोक सभा।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी

श्री वी.आर. रमेश, संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।

निर्वाचन कार्यक्रम

परिशिष्ट-I देखिए।

निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल में कुल **790** सदस्य थे **(**लोक सभा-**545** और राज्य सभा-**245)**।

अभ्यर्थी

इसमें निर्वाचन लड़ने वाले दो अभ्यर्थी थे**:**

1. श्री जसवंत सिंह
2. श्री एम० हामिद अंसारी

मतदान स्थल

कक्ष संख्या 63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली।

निर्वाचन का परिणाम

कुल 790 निर्वाचकों में से 736 (93.16%) ने निर्वाचन में मतदान किया। 8 मत अविधिमान्य पाए गए। विधिमान्य 728 वैध मतों में से, मो० हामिद अंसारी को 490 मत प्राप्त हुए, और जसवंत सिंह ने 238 मत प्राप्त किए।

निर्वाचन के लिए आवश्यक कोटा 728 / 2 + 1 = 364 + 1 = 365 था।

मो० हामिद अंसारी, जिन्होंने प्रथम अधिमान मतों की गणना के पहले चरण में आवश्यक कोटा प्राप्त किया, उन्हें 07.08.2012 को निर्वाचित घोषित किया गया। उन्होंने 11.08.2012 को उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया था और उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 10.08.2017 तक है।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग,
नई दिल्ली – **110001**
वेबसाइट: www.eci.nic.in